न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

मिसल नम्बर – 2006/00016

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

बनाम

1. देवीलाल पुत्र जगन्नाथ
2. जमना बेवा जगन्नाथ

जाति– भील साकिन रंगबाडी कोटा

जर्ये मुकाम :– गोपाललाल, बृजमोहन, धर्मपाल, पुत्र देवीलाल-
कल्याणी बेवा देवीलाल

निर्णय दिनांक :- 30/03/2026

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस बाबत् प्रस्तुत किया गया कि जमाबंदी संवत् 2035 से 2038 के अनुसार ग्राम बोरखेड़ा की खसरा नम्बर मिन 110 रकबा 9 बिस्वा व मिन 110 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा सिवायचक आराजी स्थित थी। दौराने सेटलमेंट उक्त नम्बर के नए खसरा नम्बर 156 रकबा 0.11 है0 तथा खसरा नम्बर 157 रकबा 0.14 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.25 है0 बनाये गये। भू प्रबंध विभाग द्वारा प्रार्थीगण के खाते 0.25 है0 रकबा आनाधिकृत रूप से दर्ज किया गया है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा निवेदन किया गया है कि मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 156 रकबा 0.11 है0 तथा खसरा नम्बर 157 रकबा 0.14 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.25 है0 भूमि वाके ग्राम बोरखेड़ा को राजकीय सिवायचक दर्ज किया जावें। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नकल मिलान क्षेत्रफल 2035 से 2038 जमाबंदी संवत् 2035 से 2038 जमाबंदी संवत् 2038 से 2057 जमाबंदी 2055 से 2058 संलग्न किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। वर्तमान में तहसीलदार लाडपुरा से मौका रिपोर्ट पुनः प्राप्त की गई।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में खसरा नम्बर 156 रकबा 0.11 है0 तथा खसरा नम्बर 157 रकबा 0.14 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.25 है0 भूमि नगर विकास न्यास कोटा (धारा 90बी) दर्ज रिकॉर्ड है उक्त खसरा नम्बरान पर घनी आबादी बसी हुई है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

(14)

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार विवादग्रस्त आराजी वर्तमान में नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। तथा संघन आबादी बसी हुयी है।

हमारे विनम्र मत में हस्तगत आराजी के आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज होने तथा मौके पर आबादी बसी होने के कारण वर्तमान में इस न्यायालय को प्रकरण में निर्णय पारित करने की अधिकारिता प्राप्त नही है। अतः प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि भू प्रंबध के दौरान रकबे में हुए किसी भी परिवर्तन हेतु सक्षम न्यायालय में चारा जोरी करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा